



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 15 मई, 2021 ई० (बैशाख 25, 1943 शक संवत्) [संख्या 20

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	431—436	3075	भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	519—532	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	..	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		975
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	61—63	
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाटों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	..	975
			स्टोर्स—पंचैज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

[अधिष्ठान]

नियुक्ति

13 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 792(अधि0)/वि0प0-134/75—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के माननीय सभापति, विधान परिषद् के निजी स्टाफ में जन सम्पर्क अधिकारी के निःसंवर्गीय अस्थायी राजपत्रित पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में श्री वसु षेण मिश्रा पुत्र श्री मधुकर मिश्रा को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से माननीय सभापति, विधान परिषद् के आदेशानुसार पूर्णतया अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

2—श्री वसु षेण मिश्रा की नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी जो बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकेगी।

3—श्री वसु षेण मिश्रा की सेवायें पूर्णतया माननीय सभापति जी के प्रसाद पर्यन्त होगी तथा वे उनके पद पर बने रहने तक ही सीमित होगी, तदोपरान्त स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

श्री वसु षेण मिश्रा को कार्यभार ग्रहण करने एवं सेवा समाप्ति के पश्चात् कोई यात्रा-भत्ता देय न होगा।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

अधिसूचना

27 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 473/21-पच्चीस-1-6/2/3/2013—सी0एक्स0(1)—(1) श्री मो0 असलम (2) श्री अनिल कुमार ओझा (3) श्रीमती साधना रानी (ठाकुर) (4) श्री नवीन श्रीवास्तव (5) श्री सैयद आफताब हुसैन रिजवी (6) श्री अजय त्यागी एवं (7) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव-I, जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2021 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

सं0 474/21-पच्चीस-1-6/2/3/2013—सी0एक्स0(1)—माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अतिरिक्त न्यायाधीशगण (1) श्री अली ज़ामिन (2) श्री विपिन चन्द्र दीक्षित (3) श्री शेखर कुमार यादव (4) श्री रवि नाथ तिलहरी (5) श्री दीपक वर्मा (6) श्री गौतम चौधरी (7) श्री शमीम अहमद (8) श्री दिनेश पाठक (9) श्री मनीष कुमार एवं (10) श्री समित गोपाल, जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2021 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस]

अनुभाग-1

पदोन्नति

29 अप्रैल, 2021 ई०

सं० 1340/6-पु-1-2021-287/2020—चयन वर्ष 2020-2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा) के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित 15 रिक्तियों के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 27 अप्रैल, 2021 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लिपिक) में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षकों (लिपिक) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा) साधारण वेतनमान (वेतनमान रु० 15,600-39,100 ग्रेड पे रु० 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल-10, रु० 56,100-1,77,500) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं—

क्र०सं०	नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती—	
1	देवकी नन्दन जोशी	1
2	विमला देवी	3
3	विजय लक्ष्मी सिंह	4
4	सूर्य कुमार सिंह वर्मा	5
5	अशोक कुमार पाठक	6
6	शिवकुमार	7
7	नीलिमा सक्सेना	8
8	अंजना शर्मा	9
9	सुनील कुमार श्रीवास्तव	10
10	अखिलेश कुमार अग्रवाल	11
11	रवीन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव	12
12	बागेश्वरी मिश्र	13
13	शिव प्रताप अवस्थी	14
14	सुरेश कुमार कपूर	15
15	देवेन्द्र कुमार शर्मा	17

2—उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा) के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3—उक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4—पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा) के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्तियां वास्तविक रूप से उपलब्ध हैं। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

सं0 1340(2)/6-पु-1-2021-287/2020—चयन वर्ष 2020-2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लेखा) से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित 06 रिक्तियों के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 27 अप्रैल, 2021 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लेखा) में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षकों (लिपिक) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं—

क्र0सं0	अधिकारियों के नाम	ज्येष्ठता सूची क्रमांक
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	रमेश प्रसाद	1
2	अशोक कुमार श्रीवास्तव	2
3	विनोद कुमार सिंह	3
4	मो0 नफीस	5
5	अरविन्द प्रताप सिंह	6
6	अब्दूल रउफ	7

2—उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3—उक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4—पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्तियां वास्तविक रूप से उपलब्ध हैं। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

[गोपन]

अनुभाग-3

अधिसूचना

30 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 103/7/2019-सी0एक्स0-3—चूंकि नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग विद्युत उपकेन्द्र सहजनवां, जिला गोरखपुर से बस्ती, लखनऊ, संतकबीर नगर आदि को विद्युत पारेषण के लिये किया जाता है ;

और चूंकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुंचेगा ;

अतएव अब, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या उन्नीस, सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश

पावर ग्रिड 400/220 के0वी0 उपकेन्द्र—सहजनवां, जिला—गोरखपुर।

पूर्व में—गीडा औद्योगिक क्षेत्र एवं बोक्टा ग्राम।

पश्चिम में—गीडा आवासीय क्षेत्र।

उत्तर में—ग्राम सभा केशवपुर।

दक्षिण में—दीन दयाल उपाध्याय महिला महाविद्यालय एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 28।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 103/1/7/2019-CX-3, dated April 30, 2021 for general information :

No. 103/1/7/2019-CX-3

April 30, 2021

WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for power transmission from power substation-Sahajanwa, Distt.-Gorakhpur to Basti, Lucknow, Sant Kabir Nagar *etc.*;

AND WHEREAS an information with respect thereto, of the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. XIX of 1923), read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O. 1285, dated May 4, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule below to be a "Prohibited Place" for the purposes of the aforesaid Act and to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place

Power Grid 400/220 K.V. substation-Sahajanwa, Distt.-Gorakhpur :

In East—GIDA Industrial Area and Bokta Village.

In West—GIDA Residential Area.

In North—Keshavpur Gram Sabha.

In South—Deen Dayal Upadhyae Mahila Mahavidyala And NH 28 Highway.

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Additional Chief Secretary.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 मई, 2021 ई० (बैशाख 25, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

March 10, 2021

No. 1906 A/LXXI/CPC/eCourt/Alld.—In exercise of the powers conferred by U. P. e-filing Rules for District Courts and Tribunals of Uttar Pradesh, as notified by the Government of Uttar Pradesh vide its notification no. 1846/VII-Nyaya-2-2020-179 G/2020, the High Court is pleased to notify the U. P. e-filing Rules for District Courts and Tribunals of Uttar Pradesh with effect from 10th March 2021, for the use in District Courts and Tribunals, subordinate to High Court of Judicature at Allahabad.

By order of the Court,
AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ESTABLISHMENT SECTION NOTIFICATION

March 22, 2021

No. 176—Under the orders of Hon'ble the Chief Justice dated March 14, 2021, Sri Shyam Lal (Emp. no. 3404), Section Officer is hereby deemed confirm on the post of Section Officer with effect from December 21, 2015, the date his junior was confirmed on the post of Section Officer.

No. 177—Consequent upon completion of probation period, the following Additional Private Secretaries of High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, are hereby confirmed on their post from the date, as indicated against their names :

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Confirmation
		<i>S./Sri/Ms.-</i>	
1	3754	Mohammad Zafar Ansari	13-06-2020
2	3755	Abhishek Singh Rathor	14-06-2020
3	3776	Jeshu Kumar Dinkar, <i>Lko.</i>	29-07-2020
4	3756	Ved Prakash Sharma	12-06-2020
5	3757	Pooran Singh Parihar	03-06-2020
6	3758	Chandan Singh	18-06-2020
7	3759	Lokesh Kumar, <i>Lko.</i>	14-06-2020
8	3774	Shravan Kumar, <i>Lko.</i>	06-07-2020
9	3760	Priya Kushwaha	18-06-2020
10	3761	Ashish Dewal	07-06-2020
11	3762	Vinay Kumar, <i>Lko.</i>	11-06-2020
12	3763	Sandeep Kumar Verma	12-06-2020
13	3764	Sachin Tiwari	20-06-2020
14	3765	Anil Kumar Sharma	15-06-2020
15	3766	Shashank Shivhare, <i>Lko.</i>	10-06-2020
16	3767	Anurag Singh, <i>Lko.</i>	07-06-2020
17	3768	Shanu Suman, <i>Lko.</i>	14-06-2020
18	3769	Shaikh Saif Abdin	20-06-2020
19	3775	Saurabh Verma, <i>Lko.</i>	08-07-2020
20	3770	Aditya Kushwaha	07-06-2020
21	3771	Neetu Singh, <i>Lko.</i>	07-06-2020
22	3772	Pooja Sharma	11-06-2020
23	3773	Shivangi Yadav	06-06-2020

No. 178—Sri Shyam Sundar Prasad (Emp. No. 7132), Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad is promoted as Section Officer notionally *w.e.f.* 20-09-2018 A.N. (*the date his junior Sri Abhishek Ranjan (Emp. No. 7091) has been promoted*), along with all consequential benefits, except arrears of salary (if any) for the period of notional promotion preceding the date of actual promotion. His name is placed above the name of Sri Abhishek Ranjan (Emp. No. 7091) in the gradation list of Section Officer.

March 23, 2021

No. 179—The following Bench Secretaries Grade-I of High Court of Judicature at Allahabad are hereby permitted to repatriate to their parent post of Review Officer at their original seniority along with all consequential benefits :

Sl. No.	Emp. No.	Name	Present Designation
		<i>S./Sri/Ms.-</i>	
1	7456	Devesh Dubey	Bench Secretary Grade-I
2	7582	Durga Prasad Jaiswal	Bench Secretary Grade-I
3	7451	Krishna Mohan Mishra	Bench Secretary Grade-I

No. 180—The following Bench Secretaries of High Court of Judicature at Allahabad Lucknow Bench, Lucknow are hereby confirmed on the post of Bench Secretaries Grade-I with effect from the date mentioned against their names :

Bench Secretaries Grade-I

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of confirmation
1	2	3	4
		<i>S./Sri/Ms.-</i>	
1	7089	Santosh Dwivedi, <i>Lko.</i>	19-08-2018
2	7374	Jai Prakash Dubey	18-09-2020
3	7577	Mohd. Marghub Ahmad Kaleem	01-10-2020
4	7446	Rajesh Kumar Yadav	18-09-2020
5	7359	Bhrihu Misra, <i>Lko.</i>	19-09-2020
6	7537	Shashank Shekhar, <i>Lko.</i>	19-09-2020
7	7540	Alok Kumar, <i>Lko.</i>	20-09-2020
8	7565	Sarveshwar Singh, <i>Lko.</i>	18-09-2020
9	7462	Mohd. Abrar, <i>Lko.</i>	18-09-2020
10	7444	Abhay Khare	18-09-2020
11	7548	Ravi Prakash Srivastava	18-09-2020
12	7250	Dhiraj Kumar Verma	23-09-2020
13	7523	Mahesh Kumar Sinha	23-09-2020
14	7487	Shiv Kumar Pathak	19-09-2020
15	7621	Jodh Raj Singh, <i>Lko.</i>	24-09-2020
16	7570	Lal Amarender Shekher, <i>Lko.</i>	23-09-2020
17	7344	Virendra Kumar, <i>Lko.</i>	18-09-2020

1	2	3	4
		<i>S./Sri/Ms. -</i>	
18	7587	Amit Kumar Bajpai, <i>Lko.</i>	23-09-2020
19	7505	Mohammad Haroon	18-09-2020
20	7528	Mahendra Kumar Kashyap, <i>Lko.</i>	18-09-2020
21	7501	Rajesh Kumar Vishwakarma, <i>Lko.</i>	18-09-2020
22	7509	Ashish Sahai, <i>Lko.</i>	19-09-2020
23	7547	Rakesh Tewari, <i>Lko.</i>	23-09-2020
24	7277	Yogendra Singh	19-09-2020
25	7434	Piyush Kumar, <i>Lko.</i>	24-09-2020
26	7424	Pradeep Verma, <i>Lko.</i>	21-09-2020
27	7638	Bal Krishna	18-09-2020
28	7600	Himanshu Pandey, <i>Lko.</i>	19-09-2020
29	7471	Ashok Kumar	18-09-2020
30	7417	Chandra Bhushan Singh, <i>Lko.</i>	23-09-2020
31	7418	Vikram Singh Chandel, <i>Lko.</i>	21-09-2020
32	7443	Prashant Kumar Pandey	18-09-2020
33	7535	Ankur Pandey	18-09-2020
34	7561	Amrendra Kumar Sinha	19-09-2020
35	7382	Anil Kumar Lal, <i>Lko.</i>	19-09-2020
36	7626	Mohammad Khalid Siddiqui	18-09-2020
37	7517	Pramod Kumar Rai, <i>Lko.</i>	18-09-2020
38	7384	Rajeev Kumar Singh	19-09-2020
39	7576	Mrs. Manisha Singh	18-09-2020
40	7507	Ashish Pratap Singh	18-09-2020
41	7472	Pandey Shashikant Ramanand	18-09-2020
42	7445	Rajesh Shukla, <i>Lko.</i>	24-09-2020
43	7562	Adhir Kumar Misra, <i>Lko.</i>	19-09-2020
44	7530	Dipankar Gupta	18-09-2020

1	2	3	4
		<i>S./Sri/Ms.-</i>	
45	7627	Prashant Priyadarshi	18-09-2020
46	7642	Bhanu Pratap Rawat, <i>Lko.</i>	19-09-2020
47	7515	Kundan Kumar Pal	18-09-2020
48	7459	Ashutosh Mishra	19-09-2020
49	7584	Deepak Gour, <i>Lko.</i>	18-09-2020
50	7415	Rajesh Kumari Suri, <i>Lko.</i>	24-09-2020

(The Confirmation, noted above, shall be subject to the result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ADMINISTRATIVE SECTION

NOTIFICATION

March 27, 2021

No. 278/IVg-27/Admin.(A-3)/Allahabad—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 19 of the Bengal, Agra and Assam, Civil Courts Act, 1887 (Act No. XII of 1887) as amended by Section 2 of the Uttar Pradesh Civil Laws (Amendment) Act, 2015 (U.P. Act No. 14 of 2015), the High Court is pleased to direct that from the date of its publication in the Official Gazette, the jurisdiction of the Civil Judge (Junior Division) named below shall extend to all the original suits cognizable by Civil Court of such value not exceeding five lakh rupees :

List of 200 Officers

Sl. No.	Name of the Officer	Date of initial joining	Present place of Posting
1	2	3	4
	<i>S./Sri/Ms.-</i>		
1	Akash Verma	06-02-2018	Hardoi
2	Chetna Tyagi	07-09-2018	Muzaffarnagar
3	Arun Kranti Yashodas	31-03-2018	Hardoi
4	Surekha	16-01-2018	Dibai (Bulandshahar) Nyayadhikari, Gram Nyayalaya
5	Swaraangi Shukla	16-07-2018	Allahabad
6	Arpita Singh	18-06-2018	Mahoba

1	2	3	4
	<i>S./Sri/Ms.-</i>		
7	Sanjay Raj Pande	07-07-2018	Bilsi (Budaun) Nyayadhikari, Gram Nyayalaya
8	Garima Singh	11-07-2018	Etawah
9	Pranav Tripathi	29-06-2018	Ramabai Nagar
10	Shobha Bhati	06-07-2018	Agra
11	Kavita Kumari	01-10-2018	Gorakhpur
12	Brijendra Kumar Tripathi	18-06-2018	Ekauna (Shrawasti) Nyayadhikari, Gram Nyayalaya
13	Varnika Shukla	22-06-2018	Pratapgarh
14	Rumana Ahmad	11-07-2018	Agra
15	Kavya Singh	14-06-2018	Gonda
16	Peeyush Bhartiya	09-07-2018	Kunda (Pratapgarh)
17	Sharjil Khan	14-06-2018	Maharajganj
18	Prachi Agrawal	16-07-2018	Kasganj
19	Ashish Kumar Singh	07-07-2018	Bansgaon (Gorakhpur)
20	Kriti Singh	06-07-2018	Rae Bareli
21	Mayuresh Srivastav	15-06-2018	Faizabad
22	Swarnmala Singh	24-11-2018	Deoria
23	Ankur Chitranshi	07-07-2018	Hardoi
24	Kiran Mishra	14-06-2018	Fatehpur
25	Nagma Khan	06-07-2018	Budaun
26	Anuja Singh	27-09-2018	Banda
27	Palash Ganguly	18-06-2018	Konch (Jalaun at Orai)
28	Meenal Chawla	05-11-2018	Varanasi
29	Sameena Jameel	08-06-2018	Unnao
30	Zeba Rauf	14-06-2018	Muzaffarnagar
31	Atif Siddiqui	18-06-2018	Hamirpur
32	Saksham Dwivedi	08-10-2018	Faizabad
33	Anurag Yadav	14-06-2018	Jaunpur
34	Ambika Mehrotra	06-07-2018	Chandauli

1	2	3	4
	<i>S./Sri/Ms.-</i>		
35	Anuj Kumar Singh	14-06-2018	Mohammadi (Lakhimpur Kheri)
36	Saket Mishra	14-06-2018	Anoopshahar (Bulandshahar)
37	Ashalika Pandey	11-10-2018	Sultanpur
38	Navaid Muzaffar	27-07-2018	Etawah
39	Neha Singh	26-07-2018	Jhansi
40	Divyakant Singh Rathore	01-08-2018	Mahoba
41	Ashish Kamboj	27-09-2018	Kanpur Nagar
42	Shailja Mishra	14-06-2018	Azamgarh
43	Swapnil Pandey	27-07-2018	Gonda
44	Akriti Gautam	06-08-2018	Mirzapur
45	Yogesh Jain	06-07-2018	Hathras
46	Tarunima Pandey	19-06-2018	Faizabad
47	Vandana Agarwal	14-06-2018	G. B. Nagar
48	Amrisha Srivastava	11-07-2018	Lakhimpur Kheri
49	Purushottam Awasthi	18-06-2018	Baharaich
50	Yogesh Shiva	28-09-2018	Mainpuri
51	Nutan Chauhan	18-06-2018	Sahaswan (Budaun)
52	Khan Zishan Masood	27-07-2018	Barabanki
53	Shashank Gupta	14-06-2018	Gautam Budh Nagar
54	Avinash Kumar Mishra	10-07-2018	Ballia
55	Akansha Bansal	14-06-2018	Etah
56	Shivarth Khare	18-06-2018	Allahabad
57	Priya Kumari Rai	28-09-2018	Deoria
58	Ganga Sharma	26-07-2018	Ghazipur
59	Virat Mani Tripathi	25-09-2018	Ambedkarnagar
60	Dhruvesh Singh Yadav	22-06-2018	Raebareli
61	Abhinav Srivastava	10-07-2018	Kanpur Nagar
62	Kisa Zaheer	18-06-2018	Pratapgarh

1	2	3	4
	<i>S./Sri/Ms.-</i>		
63	Shaleen Mishra	28-09-2018	Gonda
64	Anandesh Singh	14-06-2018	Sitapur
65	Vishnu Shankar Pandey	27-09-2018	Azamgarh
66	Sumit Parasar	18-06-2018	Madihan (Mirzapur) Nyayadhikari, Gram Nyayalaya
67	Pomela Srivastava	18-06-2018	Pilibhit
68	Ankita Singh	18-06-2018	Lakhimpur Kheri
69	Tarun Kumar Agrawal	20-06-2018	Fatehabad (Agra)
70	Shobhit Ray	14-06-2018	Kasia (Kushinagar at Padrauna)
71	Charu Singh	14-06-2018	Shikohabad (Firozabad)
72	Parvinder Singh	18-06-2018	Budhana (Muzaffarnagar)
73	Megha Aggarwal	18-06-2018	Bulandshahar
74	Akansha Bajpai	18-06-2018	Hardoi
75	Noopur Srivastava	13-07-2018	Mauranipur (Jhansi)
76	Surabhi Shree Gupta	19-06-2018	Auraiya
77	Satish Kumar	09-07-2018	Etawah
78	Pawan Kumar Chaurasiya	06-07-2018	Bhadohi at Gyanpur
79	Seema Singh	27-07-2018	Ramabai Nagar
80	Neeraj Singh	06-07-2018	Jaunpur
81	Komal Shukla	25-06-2018	Ramabai Nagar
82	Arnav Raj Chakravorty	29-09-2018	Jalaun (Jalaun at Orai)
83	Shambhavi	29-09-2018	Ghazipur
84	Shrikant Gaurav	24-11-2018	Allahabad
85	Bhavya Srivastava	18-06-2018	Pratapgarh
86	Anamika Chauhan	09-07-2018	Ghazipur
87	Deepti Singh	09-07-2018	Bulandshahar
88	Sonam Gupta	07-07-2018	Jaunpur
89	Saurabh Srivastava	09-07-2018	Mirzapur
90	Amit Singh	14-06-2018	Sitapur
91	Ajay Kumar Mishra	14-06-2018	Ambedkarnagar
92	Richa Sharma	14-06-2018	Varanasi
93	Priyanka Verma	01-10-2018	Mainpuri
94	Kalpana Yadav	18-06-2018	Jaunpur
95	Sakshi Singh	06-07-2018	Hathras
96	Anamika Singh	09-07-2018	Kanpur Nagar
97	Shivank Singh	14-06-2018	Ghaziabad
98	Ankit Raj Singh	18-06-2018	Deoria
99	Ankit Kumar Vihan	27-07-2018	Etah

1	2	3	4
	<i>S./Sri/Ms.-</i>		
100	Prabhat Singh	15-06-2018	Shrawasti
101	Amit Kumar Singh	15-06-2018	Allahabad
102	Arshi Noor	01-08-2018	Aligarh
103	Jyotsna Singh	19-06-2018	Kanpur Nagar
104	Pushpendra Chaudhary	09-01-2019	Mawana (Meerut)
105	Ankit Verma	06-07-2018	Kannauj
106	Pawan Kumar Singh	27-07-2018	Mahasi (Bahraich) Nyayadhikari, Gram Nyayalaya
107	Vaibhav Singh	28-07-2018	Farrukhabad
108	Neelam Verma	07-07-2018	Pratapgarh
109	Rashi Tomar	18-06-2018	Bulandshahar
110	Sanjay Kumar Singh	31-07-2018	Chauri Chaura (Gorakhpur) Nyayadhikari, Gram Nyayalaya
111	Aditya Jaiswal	09-07-2018	Deoria
112	Arpit Panwar	07-07-2018	Patiyali (Kasganj) Nyayadhikari, Gram Nyayalaya
113	Anchal Rana	18-06-2018	Muzaffarnagar
114	Divya Singh	18-06-2018	Allahabad
115	Lalita Yadav	14-06-2018	Pratapgarh
116	Aviral Singh	14-06-2018	Bahraich
117	Girendra Singh	07-07-2018	Tundla (Firozabad) Nyayadhikari, Gram Nyayalaya
118	Meenakshi Yadav	14-06-2018	Lucknow
119	Nidhi Yadav	27-07-2018	Farrukhabad
120	Preeti Giri	15-06-2018	Amroha
121	Rahul	15-06-2018	Chunar (Mirzapur)
122	Deepankar Yadav	09-07-2018	Sultanpur
123	Anupam Kushwaha	30-07-2018	Azamgarh
124	Kuwar Rohit Anand	09-07-2018	Deoria
125	Ankita Singh	30-07-2018	Budaun
126	Sunil Kumar Singh	25-08-2018	Bansi (Siddharth Nagar)
127	Priyanka Gandhi	27-09-2018	Lucknow
128	Manoj Kumar Yadav	06-07-2018	Jaunpur
129	Tusharika Singh	18-06-2018	Etawah
130	Aditya Singh	14-06-2018	Deoband (Saharanpur)
131	Atul Pal	10-07-2018	Bindki (Fatehpur) Nyayadhikari, Gram Nyayalaya
132	Vinod Kumar Yadav	15-06-2018	Hardoi

1	2	3	4
	<i>S./Sri/Ms.-</i>		
133	Sumit Kumar	19-06-2018	Mant (Mathura) Nyayadhikari, Gram Nyayalaya
134	Vivek Chaudhary	19-06-2018	Basti
135	Swati Singh	15-06-2018	Chhata (Mathura)
136	Amit Kumar Verma	29-09-2018	Allahabad
137	Sachin Verma	11-07-2018	Nanpara (Bahraich) Nyayadhikari, Gram Nyayalaya
138	Ravi Kumar	11-07-2018	Etah
139	Mohit Kumar Prasad	01-10-2018	Utraula (Balrampur)
140	Yashpal Verma	15-06-2018	Pharenda (Maharajganj)
141	Deepika Attri	30-07-2018	Hathras
142	Anupriya	09-07-2018	Kasganj
143	Anjum Saifi	14-06-2018	Mordabad
144	Rahul Anand	06-07-2018	Ballia
145	Ankur Choudhary	18-06-2018	Etawah
146	Mohammad Arif	13-08-2018	Hathras
147	Ashish Kumar	30-07-2018	Meerut
148	Abhinay Singh	19-06-2018	Chhibramau (Kannauj)
149	Anand Kumar	07-07-2018	Allahabad
150	Siddharth Verma	28-07-2018	Sultanpur
151	Napendra Kumar	14-06-2018	Chandpur (Bijnor)
152	Anu Chaudhary	08-01-2019	Hapur
153	Dharmendra Kumar Yadav	09-07-2018	Bahraich
154	Anchal Adhana	15-06-2018	Budaun
155	Namitesh Gupta	06-07-2018	Bahraich
156	Pragya Singh	01-10-2018	Bareilly
157	Arun Kumar Gupta	06-07-2018	Ballia
158	Deekshi Chaudhary	06-07-2018	Firozabad
159	Diksha Yadav	09-07-2018	Ramabai Nagar
160	Shalini Vidhey	12-07-2018	Kannauj
161	Vibha Dhama	07-07-2018	Muzaffarnagar
162	Deepak Kumar Singh	07-07-2018	Sant Kabir Nagar
163	Aman Kumar	18-01-2019	Deoria
164	Suman Solanki	29-09-2018	Farrukhabad
165	Vertika Shubhanand	27-09-2018	Bahraich
166	Nitisha Chaudhary	07-07-2018	Shahjahanpur
167	Yogita Kumar	07-07-2018	Kanpur Nagar
168	Abhishek Kumar Singh	29-09-2018	Gonda

1	2	3	4
	<i>S./Sri/Ms.-</i>		
169	Adarsh Amol	06-07-2018	Ghazipur
170	Anukriti Sant	07-07-2018	Agra
171	Alka	06-07-2018	Kasganj
172	Davender Kumar	12-07-2018	Nagina (Bijnor)
173	Ajay Pratap	03-11-2018	Azamgarh
174	Monika	06-07-2018	Ghaziabad
175	Kriti Kishore	28-09-2018	Gonda
176	Geetika Singh	07-07-2018	Shahjahanpur
177	Bhawna Bhartiya	26-07-2018	Mirzapur
178	Himanshu Verma	26-07-2018	Ramabai Nagar
179	Sunil Shekhar	30-07-2018	Duddhi (Sonbhadra)
180	Shraddha Lal	04-10-2018	Sultanpur
181	Sushant Bahal	10-07-2018	Month (Jhansi)
182	Yughul Shambhu	01-10-2018	Etah
183	Manish Kumar	06-07-2018	Azamgarh
184	Saurabh Kumar Gautam	15-06-2018	Sadabad (Hathras)
185	Avantika Prabhakar	28-09-2018	Mirzapur
186	Ashish Thirania	11-07-2018	Rampur
187	Kirti Singh	28-07-2018	Hamirpur
188	Devarshi Dev Kumar	26-07-2018	Sultanpur
189	Yugal Chandra Chaudhary	14-08-2018	Jalalabad (Shahjahanpur)
190	Dinesh Kumar Diwakar	13-07-2018	Rae Bareli
191	Vandana	04-07-2018	Muzaffarnagar
192	Kripa Shanker	06-07-2018	Bhognipur (Ramabai Nagar)
193	Avinash Ranjan	09-07-2018	Kadipur (Sultanpur)
194	Sonali Ratna	13-09-2018	Bareilly
195	Prashant Kumar Singh	27-07-2018	Etawah
196	Anurag Singh	29-09-2018	Tilhar (Shahjahanpur)
197	Archana Singh	11-07-2018	Mathura
198	Kumari Archana	09-01-2019	Campierganj (Gorakhpur) Nyayadhikari, Gram Nyayalaya
199	Nikita Gour	06-07-2018	Azamgarh
200	Vakeel	07-07-2018	Mau

By order of the Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

09 मार्च, 2021 ई0

सं0 1614/जी0-155/67(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिसवां, जनपद सीतापुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं—

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
सीतापुर	बिसवां	1	न्यामतपुर
		2	भुरकुन्डी
		3	काजीसरांय
		4	बन्नीराय

सं0 1615/जी0-226/62-16— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील विधूना, जनपद औरैया के ग्राम नगला सिलवट में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1616/जी0-167A/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं—

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
कानपुर देहात	भोगनीपुर	1	कुढ़वा
		2	मुडेरा

10 मार्च, 2021 ई0

सं0 1641/जी0-166A/65—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम सिरसी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1642/जी0-151/65-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि

इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के ग्राम कुतलपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1643/जी0-161/59-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बस्ती, जनपद बस्ती के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं—

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
बस्ती	बस्ती	1	पृथ्वीपुर तप्पा जगरनाथपुर
		2	बैसियाखुर्द तप्पा कुदरहा

सं0 1661/जी0-29/90-15- उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम तिघरा तप्पा करही में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1662/जी0-363/60-90(1)- उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि

इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद गाजीपुर के ग्राम अरखपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1663/जी0-170/65-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई के ग्राम नेवादा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1664/जी0-155/67-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिसवां, जनपद सीतापुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
सीतापुर	बिसवां	1	जंगल विलास
		2	कामापुर

सं0 1666/जी0-247/2020-21/धारा 6(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज के ग्राम मलांवा बुजुर्ग में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 2352/जी-610/2012, दिनांक 16 जून, 2015 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

15 मार्च, 2021 ई0

सं0 1719/जी0-151/59-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धामपुर, जनपद बिजनौर के ग्राम बजीरपुर बी0ए0 में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1720/जी0-240/2018-19—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बेल्थरा रोड, जनपद बलिया के ग्राम खालिसपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1721/जी0-201/91(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज, जनपद मीरजापुर के ग्राम चक सुल्तानीपुर नं0-1, तप्पा उपरौध में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1722/जी0-361/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद जौनपुर के ग्राम मनवल में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

18 मार्च, 2021 ई0

सं0 1744/जी0-163/59(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद हरदोई के ग्राम भड़ायल में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1745/जी0-152/90/2011(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर के ग्राम मठिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

बी0राम शास्त्री,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—7 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 मई, 2021 ई० (बैशाख 25, 1943 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

26 फरवरी, 2021 ई०

नई दिल्ली, तारीख

07 फाल्गुन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं० 82/उ०प्र०-लो०स०/9/2019(इला०)-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, 2019 की निर्वाचन अर्जी संख्या 9 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 18 जनवरी, 2021 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,
पुष्पा एन० लकड़ा,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

26th February, 2021

New Delhi, dated the

07th Phalguna, 1942 (Saka).

NOTIFICATION

No. 82/UP-HP/9/2019 (Alld.)—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 18th January, 2021 of the High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 9 of 2019.

By order,
PUSHPA N. LAKRA,
Secretary,
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**Election Petition no. 9 of 2019.***(Under Section 80/81 of Representation of the Peoples Act, 1951)**District : Agra*

Prempal Singh
son of Mukundi Lal,
Resident of Village Imaliya,
Post Ummargarh Imaliya, Nagla Sikandar,
District, Firozabad.

*. . Petitioner.**VERSUS*

1. Satyapal Singh Baghel
son of Late Ram Bharose,
R/o House no. 44 MIG, New Shahganj, Saket Colony,
District, Agra.
2. Manoj Kumar Soni son of Late Lala Ram Soni,
Resident of House no. 26, T. P. Nagar, Sikandara, Tehsil-Sadar,
Police Station- Sikandara, District Agra.
3. Chandrapal son of Late Beni Ram,
R/o B-505, Kamla Nagar,
District Agra.
4. Prita Harit son of Anilkant,
R/o K. 12, Block-K, Green Park Extension,
New Delhi.
5. Km. Himanshi D/o Rajendra Prasad,
R/o House no. 30/31 Phase-I,
Laxmi Palace, Ram Vihar Colony,
Devri Road, Agra.
6. Babu Lal son of Samanta Ram,
R/o House no. 66/31/1, Nagla Kheria,
Jagner Road, District-Agra.
7. Raja son of Raj Kumar,
R/o House no. 26/362, Bada Charan Singh,
Nai Abadi, Gokulpura, Kansh Gate,
Lohamandi, Agra.
8. Ambedkari Hasnu Ram Ambedkari son of Sri Harigyan Singh,
R/o Village-Ram Nagar, Majra Dulhe Khan,
Post-Rasulpur, Kheragarh, Agra.
9. Ramji Lal Vidyarthi son of Sripal Vidyarthi,
R/o 38/58A Idagah Katghar, Police Station Rakabganj,
District-Agra.

. . Respondents.

Court No.-52

Case : Election Petition No. 9 of 2019.

Petitioner : Prempal Singh,

Respondent : Satyapal Singh Baghel And 8 Others,

Counsel for Petitioner : Awadhesh Tiwari, Parvez Iqbal Ansari,

Counsel for Respondent : Sushil Kumar Srivastava, Jayendra Kumar Mishra, Sharad Kumar.

Hon'ble Om Prakash VII, J.

Case called out.

Neither petitioner in person nor his counsel is present in the revised call.

Sri Sushil Kumar Srivastava, learned counsel for the respondent no. 1 and

Sri Vijit Saxena, learned counsel for the respondent no. 2 are present.

This Election Petition is dismissed for want of prosecution.

Order Date : 18-01-2021.

(*Sd.*) OM PRAKASH-VII- J.

By order,
PUSHPA N. LAKRA,
Secretary,
Election Commission of India.

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव ।

पी0एस0यू0पी0-7 हिन्दी गजट-भाग 7-ख-2021 ई0 ।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज ।
पी0एस0यू0पी0-30 निर्वाचन-30-03-2021-25 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट) ।